/

[2023] 5 एस. सी. आर. 485

/

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. बनाम.

विजयनगरम चिन्ना रेड्डीपा (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1313) अप्रैल 28,2023

/

[वी**.** रामसुब्रमणियन और पंकज मिट्ठल**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।426(2)(ख), 427 (2)-के बीच अंतःक्रिया-आयोजितःजबकि एस।426 भगोड़े अपराधी के मामले को शामिल करते हुए, इसकी उप-धारा (2) का खंड (बी) आजीवन दोषियों के संबंध में एक पहेली पैदा करता है-लेकिन एस।427, यद्यपि यह एक फरार दोषी के मामले से नहीं निपटता है, यह पता लगाने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है कि आजीवन दोषी के संबंध में बाद में दोषसिद्धि पर लगाई गई सजा को कैसे संभाला जाना चाहिए-एस का आवेदन।427(2) उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन मामले में पूरी तरह से व्यवस्था है-बंदी को रिहा किया जाना-सजा।

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील संख्या 1313।

2022 के डब्ल्यू. पी. संख्या 36742 में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 08.12.2022 के निर्णय और आदेश से।

/

महफूज़ अहसान नाज़की, के. वी. गिरीश चौधरी, टी. विजय भास्कर रेड्डी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री नीति रिचरिया, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

दमा शेषाद्री नायडू, वरिष्ठ अधिवक्ता, पाई अमित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, सुश्री भावना दुहून, अभियुदय वत्स, सुश्री नंदिता के. नायर, सुश्री प्रतिष्ठा सी. बी., अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

/

आदेश

अनुमति दी गई।

आंध्र प्रदेश राज्य ने आंध्र ए उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए उपरोक्त अपील दायर की है।

/

/

486

/

[2023] 5 एस सी आर।

प्रदेश ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट जारी करते हुए केंद्रीय कारागार, कडप्पा के अधीक्षक को पी. रेड्डी भास्कर (दोषी No.5357) नाम के एक दोषी को रिहा करने का निर्देश दिया।

हमने आंध्र प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी वकील और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेषाद्री नायडू को सुना है।

/

बंदी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आई. पी. सी".) की धारा 302 के अंतर्गत एक अपराध के लिए सत्र मामले No.139/2006 में मुकदमा चलाया गया था, जो 27.05.2001 पर हुई हत्या से संबंधित था।19.12.2006 दिनांकित एक निर्णय द्वारा, बंदी को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर की गई थी और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।

/

ऐसा प्रतीत होता है कि बंदी अपने कारावास के दौरान दो बार हिरासत से भाग गया, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया।यह राज्य का मामला है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने पहले भागने के बाद लगभग दो साल और दूसरे भागने के बाद लगभग तीन महीने तक आत्म-प्राप्त स्वतंत्रता का आनंद लिया।

/

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 242 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद, बंदी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 365 के अंतर्गत अपहरण के अपराध के लिए मामले No.260/2006 में एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया गया था। इस मामले में बंदी को दोषी ठहराया गया और एक साल के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

/

G.O.Ms द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 175 आजीवन कैदियों को विशेष छूट प्रदान की। उसे तीसरे भागने का कोई मौका दिए बिना, सरकार ने 15.08.2022 पर उक्त सरकारी आदेश के अंतर्गत उसे रिहा कर दिया।

/

सरकारी आदेश जारी होने के बाद भी बंदी को इस आधार पर जेल से रिहा नहीं किया गया था कि मामले No.260/2006 में दी गई कारावास की सजा पहले मामले में छूट देने की तारीख से शुरू होनी चाहिए।इसलिए बंदी के बहनोई ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें तर्क दिया गया कि छूट देने के बाद बंदी को लगातार हिरासत में रखना अवैध था।उच्च न्यायालय ने तर्क को अनुज्ञात कर लिया और रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया।यह उक्त आदेश के खिलाफ है कि राज्य उपरोक्त अपील के साथ आया है।

/

/

/

इस अपील में जो प्रश्न है वह धारा 426 और 427 के बीच दंड प्रक्रिया संहिता क्रिया है।

“426. भागने वाले दोषी पर सजा कब प्रभावी होगी।-(1) जब इस संहिता के अंतर्गत किसी फरार दोषी को मौत, आजीवन कारावास या जुर्माने की सजा दी जाती है, तो ऐसी सजा, इसमें पहले निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, तुरंत प्रभावी होगी।

/

(2) जब इस संहिता के अंतर्गत एक भागने वाले दोषी को एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है, -

(क) यदि ऐसी सजा उस सजा से अधिक गंभीर है जिसे ऐसा दोषी भागने के समय भुगत रहा था, तो नई सजा तुरंत प्रभावी होगी।

/

(ख) यदि ऐसी सजा उस सजा से अधिक गंभीर नहीं है जो ऐसा दोषी भागने के समय भुगत रहा था, तो नई सजा उस अवधि के लिए कारावास झेलने के बाद प्रभावी होगी जो उसके भागने के

समय उसकी पूर्व सजा के बराबर थी।(3) उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कठोर कारावास की सजा को साधारण कारावास की सजा से अधिक गंभीर माना जाएगा।

/

/

427. एक अन्य अपराध के लिए पहले से ही सजा पाए अपराधी को सजा।-(1) जब पहले से ही कारावास की सजा का सामना कर रहे किसी व्यक्ति को बाद में कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर शुरू होगा, जिसके लिए उसे पहले सजा सुनाई गई है, जब तक कि न्यायालय यह निर्देश नहीं देती है कि बाद की सजा ऐसी पिछली सजा के साथ-साथ चलेगीः

/

बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति जिसे प्रतिभूति देने में चूक करने पर धारा 122 के अंतर्गत किसी आदेश द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई है, ऐसी सजा काटते समय, ऐसा आदेश देने से पहले किए गए अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो बाद की सजा तुरंत शुरू हो जाएगी।

/

/

(2) जब पहले से ही आजीवन कारावास की सजा का सामना कर रहे किसी व्यक्ति को बाद में दोषी ठहराए जाने पर कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो बाद की सजा ऐसी पिछली सजा के साथ-साथ चलती है। "

/

शुरुआत में, हमें याद रखना चाहिए कि हम एक फरार दोषी के मामले से निपट रहे हैं।इसलिए, बंदी का मामला स्पष्ट रूप से धारा 426 (2) (बी) द्वारा कवर किया जाएगा, जो एक फरार दोषी के मामले से संबंधित है, जो पहले से ही एक प्रकार की गंभीर सजा काट रहा है, लेकिन बाद में दोषसिद्धि के संबंध में कम गंभीर सजा के साथ लगाया गया है।धारा 426 (2) (बी) <आई. डी. 1. में कहा गया है कि जहां तक भागने वाले दोषी का संबंध है, दूसरी या बाद दंड प्रक्रिया संहिता में लगाई गई सजा तभी प्रभावी होगी जब भागने वाले दोषी को उस अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ा हो जो भागने के समय उसकी पूर्व सजा के बराबर नहीं थी।

/

लेकिन जहां तक आजीवन कारावास के दोषी का संबंध है, विधि ी रूप से, सजा का कोई भी हिस्सा समाप्त नहीं होता है।सरकार द्वारा आजीवन कारावास के दोषी को दी गई छूट का अर्थ यह नहीं लिया जा सकता है कि आजीवन कारावास का कुछ हिस्सा उसी अर्थ में समाप्त नहीं हुआ है जैसा कि अन्य दोषियों के मामले में हुआ था।आजीवन कारावास आजीवन कारावास की सजा है।इस तरह के वाक्य से क्या समाप्त नहीं होता है, यह केवल भगवान (यदि आप मानते हैं) और सरकार को पता है, यदि माफी की नीति है।इसलिए, धारा 426 (2) (बी) को आजीवन कारावास के दोषी के मामले में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तकनीकी अर्थों में आजीवन कारावास के दोषी के मामले में सजा का कोई भी हिस्सा समाप्त नहीं होता है।

/

/

यदि धारा 426 (2) (बी) Cr.P.C. काम से बाहर है, तो जो बचा है वह धारा 427 (2) Cr.P.C है। धारा 427 (2) दंड प्रक्रिया संहिता तहत, बाद की सजा पिछली सजा के साथ-साथ चलनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, तो उसे बाद में कारावास या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

/

/

इसलिए, जबकि धारा 426 एक फरार दोषी के मामले को शामिल करती है, उसकी उप-धारा (2) का खंड (बी) आजीवन दोषियों के संबंध में एक पहेली पैदा करता है।लेकिन धारा 427, हालांकि एक फरार दोषी के मामले से संबंधित नहीं है, यह पता लगाने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है कि एक आजीवन दोषी के संबंध में बाद में दोषसिद्धि पर लगाई गई सजा को कैसे संभाला जाना चाहिए।

/

/

इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा मामले में धारा 427 (2) दंड प्रक्रिया संहिता आवेदन पूरी तरह से क्रम में है और अपील खारिज किए जाने के योग्य है।

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।बंदी को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

/

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/